न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी – उज्ज्वल राठौड़, I.A.S.

प्रकरण संख्या – 03/2019 (निगरानी)

जीसीएमएस नं0 2019/00207

ग्राम पंचायत सलावद खुर्द जरिये सचिव रामेश्वर मीणा आत्मज श्री मोहनलाल मीणा जाति मीणा निवासी लक्ष्मीपुरा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा

–निगराकार

बनाम

1. अशफाक अहमद आत्मज श्री याकूब अहमद जाति मुसलमान निवासी सुकेत तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा
2. मकसूद अहमद आत्मज श्री अब्दुल रजाक जाति मुसलमान निवासी सुकेत तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा

– गैर निगराकार

निगरानी बनाराजगी पट्टा नं0 3191 से 3198 फैसला दिनांक 6.10.2014 ग्राम पंचायत सलावदखुर्द बहक गैर निगराकारान

उपस्थित :–

1. श्री हनुमानसिंह हाड़ा, अभिभाषक निगराकार

निर्णय

दिनांक 22.09.2021

1. निगरानी के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत सलावदखुर्द में वर्ष 2014 में तत्कालीन सरपंच देवीलाल रेगर व सचिव रामकरण सुमन द्वारा गैर निगराकर नं0 1 व 2 के नाम से आबादी भूमि पर कब्जा बताकर /पुराने व पुश्तैनी घर बताकर गैर निगराकार नं0 1 के नाम 7 पट्टे एवं गैर निगराकार नं0 2 के नाम एक पट्टा एक ही दिन में प्रति पट्टे की फीस 200/– जमा कर 300 वर्गगज से अधिक आवासीय भूमि के पट्टे नं0 3191 से 3198 जारी कर दिये जिनका पंजीयन भी दिनांक 18.12.2014 को उप उंजीयक कार्यालय रामगंजमण्डी में हो चुका है । उक्त पट्टे नियम विरूद्व जारी होना मानते हुए निरस्त कराने हेतु निगराकार द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में दिनांक 18.7.2019 को जर्ये अभिभाषक पेश की गई है ।

2. निगरानी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर गैर निगराकार की तलबी हेतु रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये, किन्तु बादवजूद सूचना के गैर निगराकार अनुपस्थित रहने से अनुपस्थिति दर्ज की जाकर वकील निगराकार की एकपक्षीय बहस सुनी गई है ।

3. विद्वान वकील निगराकार द्वारा अपनी बहस में निगरानी में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया है कि ग्राम पंचायत सलावदखुर्द में वर्ष 2014 में तत्कालीन सरपंच देवीलाल रेगर व सचिव रामकरण सुमन द्वारा गैर निगराकर नं0 1 व 2 के नाम से आबादी भूमि पर कब्जा बताकर /पुराने व पुश्तैनी घर बताकर गैर निगराकार नं0 1 के नाम 7 पट्टे एवं गैर निगराकार नं0 2 के नाम एक पट्टा एक ही दिन में प्रति पट्टे की फीस 200/– जमा कर 300 वर्गगज से अधिक आवासीय भूमि के पट्टे नं0 3191 से 3198 जारी कर दिये जिनका

जिला कलेक्टर
कोटा

पंजीयन भी दिनांक 18.12.2014 को उप उंजीयक कार्यालय रामगंजमण्डी में हो चुका है । उक्त पट्टो बाबत उमरदीन द्वारा शिकायत करने पर जिला परिषद कोटा द्वारा जांच की गयी तो जांच में उक्त गैर निगराकारान के पक्ष में जारी पट्टों की भूमि मुकन्दरा टाइगर्स हील्स व रा0उ0मा0वि0 के समीप होने से करोडो की भूमि पायी गयी तथा आवेदन पत्र के साथ शपथ पत्र, आबादी भूमि का प्रमाण पत्र अभिशंषा व मौका रिपोर्ट कर सभी कॉलम खाली पाये गये व कोई मौका मुआयना नहीं कर अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर पट्टे जारी करना पाया जो राजस्थान पंचायत राज नियम 1996 के नियम 157 (1) के नियमों के विरूद्व है तथा जांच में तत्कालीन सरपंच देवीलाल रेगर व सचिव रामकरण दोषी पाये गये । इस कारण उक्त जारी किये गये पट्टे नं0 3191 से 3198 दिनांक6.10.2014 जो उप पंजीयक कार्यालय रामगंजमण्डी में दिनांक 18. 12.2014 को पंजीयन कमांक 2014003478 से 2014003485 पर पंजीकृत है को खारिज /निरस्त फरमाया जावें ।

4. हमने वकील निगराकार की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । कानूनी बिन्दुओं पर गुणावगुण के आधार पर गहनता से विचार करने पर यह पाते है कि यह निगरानी ग्राम पंचायत सलावदखुर्द द्वारा दिनांक 6.10.2014 को जो पट्टे जारी किये गये है उन पट्टो का उप पंजीयक कार्यालय रामगंजमण्डी में दिनांक 18.12.2014 को पंजीयन हो चुका है । नियमानुसार कोई भी दस्तावेज रजिस्टर्ड होने उपरान्त रजिस्टर्ड दस्तावेज को सक्षम न्यायालय माननीय सिविल न्यायालय द्वारा ही निरस्त किया जा सकता है । इस कारण ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टा नं0 3191 से 3198 दिनांक 6.10.2014 जो उप पंजीयक कार्यालय रामगंजमण्डी में दिनांक 18.12.2014 को पंजीयन कमांक 2014003478 से 2014003485 पर रजिस्टर्ड होने से रजिस्टर्ड पट्टो को खारिज करना इस न्यायालय के क्षैत्राधिकार में नहीं है । निगरानी स्वीकार योग्य नहीं पाते है ।

5. परिणामतः ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टा नं0 3191 से 3198 उप पंजीयक कार्यालय से रजिस्टर्ड होने के कारण उक्त पट्टो को निरस्त करने का क्षैत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं होने से प्रस्तुत निगरानी स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है ।

6. निर्णय आज दिनांक 22.09.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(उज्ज्वल राठौड़)

जिला कलेक्टर, कोटा

जिला कलेक्टर

कोटा